न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारीः—श्री सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :—163 / 2022

प्रार्थीगणः—

1. पारसमल पुत्र सवाराम
2. जगदीश पुत्र बालकराम
3. निम्बाराम पुत्र बालकराम
4. मिठाराम पुत्र बालकराम
5. रामलाल पुत्र बालकराम
6. श्रीमती हंजा देवी पत्नी बालकराम

   जाति सुथार निवासी गोलिया तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीः—

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,132,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :—श्री ललित जांगीड़
वकील प्रार्थीगण

—::संशोधित आदेश::— दिनांक :—21.03.2024

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम उमसर तहसील सिवाना की खसरा संख्या 396 रकबा 17.17 बीघा प्रार्थी संख्या 1 एवं प्रार्थी संख्या 2 से 6 के हकपूर्वाधिकारी की संयुक्त खातेदारी की थी, जिसका तत्कालीन खातेदारान ने राजस्व लोक अदालत अभियान 2015 में अपने हिस्सानुसार आपसी सहमति से विभाजन करवाया। तदनुसार खसरा संख्या 891 / 396 रकबा 08.19 बीघा भूमि प्रार्थी संख्या 1 के एवं खसरा संख्या 890 / 396 रकबा 08.18 बीघा भूमि प्रार्थी संख्या 2 से 6 के हकपूर्वाधिकारी के हिस्से में आई। प्रार्थीगण इसी अनुसार अपने—अपने हक की भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है और इसी अनुसार लट्ठा नक्शा में तरमीम दर्ज थी, किन्तु ऑनलाईन तरमीम शीट में की गई तरमीम में प्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा, प्रार्थी संख्या 2 से 6 के स्थान पर एवं इसी प्रकार प्रार्थी संख्या 2 से 6 का हिस्सा प्रार्थी संख्या 1 के स्थान दरसा दिया। अतः प्रार्थीगण ने पूर्व में हुए राजस्व लोक अदालत अभियान 2015 में हुए सहमति विभाजन अनुसार तरमीम दुरुस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज किया गया। तहसीलदार सिवाना ने जरिये पत्र कमांक—PGKS/भू.अ. / 2023 / 09 दिनांक 14.06.2023 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की । रिपोर्ट के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी संख्या 1 के कब्जा काश्त की भूमि खसरा संख्या 891 / 396 रकबा 01.4488 हैक्टेयर एवं प्रार्थी संख्या 2 से 6 के कब्जा काश्त की भूमि खसरा संख्या 890 / 396 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.04.12 13:29:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाडमेर)

01.4407 हैक्टेयर है। किन्तु लट्ठा नक्शा में तरमीम सहमति विभाजन पत्र की स्वीकृति के विपरीत दर्ज हो गयी। रिपोर्ट में तहसीलदार सिवाना ने प्रार्थीगण की कब्जाकाश्त एवं सहमति विभाजन पत्र की स्वीकृति अनुसार लट्ठा नक्शा में खसरा संख्या 890/396 की जगह 891/396 एवं खसरा संख्या 891/396 की जगह 890/396 तरमीम दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है।

हमने पत्रावली एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया। रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम एवं मौके पर कब्जास्थिति में भिन्नता है। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट अनुसार लट्ठा नक्शा में अंकित खसरा संख्या 890/396 की जगह 891/396 एवं खसरा संख्या 891/396 की जगह 890/396 रेकर्ड दुरूस्ती किये जाने हेतु उचित बताया है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की तरमीम दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम उमसर तहसील सिवाना की खसरा संख्या 891/396 रकबा 01.4488 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 890/396 रकबा 01.4407 हैक्टेयर भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए खसरा संख्या 890/396 की जगह 891/396 एवं खसरा संख्या 891/396 की जगह 890/396 दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तथा इस आदेश से उक्त खसरों का रकबा अप्रभावित रहेगा।

आदेश आज दिनांक 21.03.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.04.12 13:29:38 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)